फर्द अहकाम

शंकर लाल बनाम नानू वगै०

...लय

...या 147/2022 915

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2/8/22	अधिवक्ता रामजीलाल शर्मा ने वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 R.T. Act का पेश किया गया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) CPC का स्वीकार किया जाता है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 18/8/22 को पेश हो। [signature]	
18/8/22	व. वादी उप. पत्रावली मे तलबी हेतु समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 25/8/22 को पेश हो। पुनश्च पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया की प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता अजय शर्मा द्वारा (जवाब) पेश किया वकालतनामा व शामिल पत्रावली किया गया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 की तामील रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल पत्रावली की गई पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/8/22 को पेश हो। [signature]	
25/8/22	...साइ म आर्फीसर दौरे/... पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31/8/22 को पेश हो।	
31/8/22	व.प. उप. उभय पक्षकारान द्वारा सहमति का प्रार्थना पत्र पेश किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

शंकरलाल **बनाम** नानू वगै.

नाम न्यायालय

केस संख्या 147/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश कर राजीनामा अनुसार डिक्री दावा करने का निवेदन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जवाब राजीनामा का अवलोकन किया गया जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर हेतु नम्बर से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो। sd) ssl

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

.न. 147/2022

उनवान

1. शंकरलाल जाट पुत्र श्री नरसिंह लाल जाट, जाति जाट, निवासी–कचौलिया, करबा चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. नानूराम पुत्र मांगूराम,
2. सुरेश कुमार पुत्र नरसीराम,

   समस्त जाति जाट, निवासीयान–ग्राम कचौलिया, तहसील चौमूँ जिला जयपुर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राजस्थान।
4. उप पंजीयक महोदय चौमूँ, उप पंजीयन कार्यालय, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 31.08..2022

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम चौमूँ, पटवार हल्का चौमूँ–बी, तहसील चौमूँ जिला जयपुर में स्थित नया खाता संख्या 1284 के खसरा नम्बर 5985 रकबा 0.53 हैक्टेयर भूमि कुल किता 1 का कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर, नया खाता संख्या 707 के खसरा नम्बर 6169/8156 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर, नया खाता संख्या 974 के खसरा नम्बर 5984 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.75 है[illegible] स्थित है। जिसमें से खसरा नम्बर 5984 भूमि ही उक्त वादपत्र [illegible] में भूमि वादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है।

भूमि वादग्रस्त के बाबत वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 [illegible] द्वारा एक विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2018 को उप पंजीयक महोदय, चौमूँ जिला जयपुर के समक्ष तस्दीक करवाया गया। जिस विक्रय पत्र के अनुसार वादी को भूमि वादग्रस्त के खसरा नम्बर 5984 रकबा 0.75 हैक्टेयर का हिस्सा 20/75 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 30/75 भाग विक्रय किया गया, लेकिन सहवन से टाईपिंग त्रुटिवश उक्त विक्रय पत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested

...दी का हिस्सा 17/75 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 33/75 भाग अंकित कर दिया गया तथा वादी का नाम भी शंकर लाल जाट पुत्र नरसिंह लाल जाट, जाति जाट, निवासी–कचौलिया तहसील चौमूँ जिला जयपुर के स्थान पर शंकर पुत्र नरसीराम जाट, निवासी–कचौलिया, तहसील चौमूँ जिला जयपुर अंकित कर दिया गया। जो विक्रय पत्र उप पंजीयक महोदय चौमूँ जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 22.01.2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 639 में पृष्ठ संख्या 11 क्रम संख्या 201803059100258 पर पंजिबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2332 के पृष्ठ संख्या 84 से 97 पर चस्पा किया गया। जिसका नामान्तकरण कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। लेकिन मौके पर वादी व प्रतिवादी वास्तविक रूप से क्रय किये गये हिस्से अनुसार काबिज काश्त रहकर भूमि वादग्रस्त का उपयोग उपभोग कर लाभ उठाते चले आते रहे ।

वादी दिनांक 13/01/2022 को राजस्व रिकार्ड का हैसियत प्रमाण पत्र बनाने हेतु अवलोकन करने पर यह ज्ञान में आया कि उनके द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2018 में उसका हिस्सा कम अंकित कर दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा विक्रय पत्र में बढ़ा दिया गया है तथा विक्रय पत्र में उसका नाम भी वास्तविक नाम शंकर लाल जाट पुत्र नरसिंह लाल जाट, जाति जाट, निवासी–कचौलिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर के स्थान पर शंकर पुत्र नरसी जाट, जाति जाट, निवासी–कचौलिया तहसील चौमू जिला जयपुर अंकित कर दिया गया। जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में उसका हिस्सा कम कर दिया गया है तथा उसके हिस्सा बढा दिया गया है। जिस बाबत वादी व प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष उपस्थित होकर वादी का हिस्सा व नाम को दुरुस्त करने बाबत निवेदन किया गया तो प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादी से कहा गया कि वह शुद्धि पत्र करवाकर अपना हिस्सा व नाम सही करवा सकते है।

वादी द्वारा उप पंजीयक महोदय चौमूँ प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष दिनांक 07.02.2022 को एक शुद्धि पत्र इस आशय का तस्दीक करवाया गया कि पूर्व में दिनांक 22.01.2018 को तस्दीक विक्रय पत्र में वादी का हिस्सा व[illegible]सरा नम्बर 5984 रकबा 0.75 हैक्टेयर में 17/75 के स्थान पर 20/75 भाग व वादी [illegible] शंकर पुत्र नरसी जाट, जाति जाट, निवासी–कचौलिया तहसील चौमू जिला जयपुर के स्थान पर वास्तविक नाम शंकर लाल जाट पुत्र नरसिंह लाल जाट, जाति जाट, निवासी–कचौलिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर के बावत तस्दीक करवाया गया, जो शुद्धि पत्र उप पंजीयक महोदय चौमूँ जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 07.02.2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 740 में पृष्ठ संख्या 30 क्रम संख्या 202203059100830 पर पंजिबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2736 के पृष्ठ संख्या 319 से 329 पर चस्पा किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा दिनांक 1/6/22 को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक आवेदन पत्र शुद्धि पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दुरुस्थ करने व वादी का वास्तविक नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में कार्यवाही करते हुये वादी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुये वादी का नाम दुरुस्त कर दिया गया तथा राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दुरुस्त करवाने बाबत न्यायालय श्रीमान के समक्ष कार्यवाही करने हेतु कहा गया। जिस कारण उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी किया जावेः–

(क) वाद बाबत घोषणा का डिकी किया जाकर भूमि वादग्रस्त बाबत उप पंजीयक महोदय चौमूँ के समक्ष तस्दीक शुद्धि पत्र दिनांकित 07.02.2022 जो कि पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 740 में पृष्ठ संख्या 30 क्रम संख्या 202203059100830 पर पंजिबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2736 के पृष्ठ संख्या 319 से 329 पर चस्पा किया गया के आधार पर भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 5984 में वादी का हिस्सा 17/75 के स्थान पर 20/75 भाग दुरुस्त किया जाकर वादी का हिस्सा 20/75 भाग की घोषणा की जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 भूमि वादग्रस्त के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही भूमि वादग्रस्त पर खड्डे खोदे, ना ही राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का कोई रद्धोबदल करें, ना ही रहन, गिरवी, बख्शीश इत्यादि करें तथा प्रतिवादी संख्या 3 राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादी संख्या 4 अपने समक्ष प्रस्तुत होने वाले किसी भी दस्तावेज को ना तो ग्रहण करें, ना ही तस्दीक करें। उक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवाये। अर्थात प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे ।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 5984 रकबा 0.75 है0 में वादी का हिस्सा 20/75 भाग व प्रतिवादी संख्या 30/75 भाग शुद्धि पत्र दिनांक 07.02.2022 के अनुसार फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब, राजीनामा का अवलोकन किया गया। जिससे वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र बाबत घोषणा का कानूनन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद पत्र बाबत घोषणा का स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम चौमूँ, पटवार हल्का चौमूँ–बी, तहसील चौमूँ जिला जयपुर के नया खाता संख्या 974 के खसरा नम्बर 5984 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर बाबत उप पंजीयक महोदय चौमूँ के समक्ष तस्दीक शुद्धि पत्र दिनांकित 07.02.2022 जो कि पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 740 में पृष्ठ संख्या 30 क्रम संख्या 202203059100830 पर पंजिबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2736 के पृष्ठ संख्या 319 से 329 पर चस्पा किया गया के आधार पर भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 5984 में वादी का हिस्सा 17/75 के स्थान पर 20/75 भाग दुरुस्त किया जाकर वादी का हिस्सा 20/75 भाग की घोषणा की जाती है। डिक्री जारी हों। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(सीमा खेतान)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested